I/514811/2024

संख्या-38/2024/ 674/26-3-2024/C.N.- 1791932

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2024

विषय-सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु एकीकृत विकास योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश दिनांक 10.05.2022 में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2962/स0क0/विकास/ए0वि0यो0/विविध-17/2023-24 दिनांक 27.02.2024 एवं पत्र संख्या-2773/स0क0/विकास/एकीकृत/17/विविध/2023-24 दिनांक 14.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार सृजन, प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा, पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण में अनुसूचित जाति की अधिकतम निर्धारित आबादी 50 प्रतिशत को शिथिल करने के संबंध में शासनादेश दिनांक 10.05.2022 में संशोधन करने हेतु यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार सृजन, प्रशिक्षण एवं अवस्थापना सुविधा, पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग का निर्माण तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों के निर्माण हेतु एकीकृत विकास योजना के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-54/2022/264/26-3-2022-10(15)/2007 दिनांक 10.05.2022 के प्रस्तर-3 के बिन्दु-(1) में योजनान्तर्गत ग्रामों के चयन की पात्रता हेतु अनुसूचित जाति की आबादी के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश दिये गये है:-

> " उक्त योजनान्तर्गत ग्रामों का चयन करते समय ऐसे ग्रामों के प्रस्ताव सम्मिलित किये जाय जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी कम से कम 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 50 प्रतिशत से कम निवास कर रही हो। ताकि अधिकतम अनुसूचित जाति के व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से योजना से लाभान्वित हो सके एवं उक्त ग्रामों में विकास सुनिश्चित किया जा सके।"

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एकीकृत विकास योजनान्तर्गत सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 10.05.2022 के प्रस्तर-3 के बिन्दु-(1) में उल्लिखित अनुसूचित जाति की अधिकतम निर्धारित आबादी 50 प्रतिशत की सीमा को शिथिल करते हुए ऐसे ग्रामों, जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी 25 प्रतिशत से अधिक हो, को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

Digitally signed by रजनीश चन्द्र
Date: 07-03-2024 16:38:57
Reason: Approved

I/514811/2024

पृ0सं0 एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
2- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
3- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 सिडको, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।